भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 379
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: आम विकास बोर्ड और आम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

*379. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व का अग्रणी आम उत्पादक देश है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आम के वैज्ञानिक उत्पादन, विपणन, निर्यात, अनुसंधान और मूल्यवर्धन के लिए 'आम विकास बोर्ड' गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके गठन की वर्तमान स्थिति और इस संबंध में प्रस्तावित कार्य-क्षेत्र क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आम उत्पादकों के लिए स्थायी आय और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आम की विभिन्न पारंपरिक और वैज्ञानिक किस्मों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'आम विकास बोर्ड और आम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य' के संबंध में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 379 के भाग (क) से (घ) का विवरण ।

(क): भारत 228.37 लाख टन (द्वितीय अनुमान वर्ष 2024-25) के उत्पादन के साथ विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो विश्व आम उत्पादन का लगभग 40-45 प्रतिशत है। पिछले पाँच वर्षों के आम के क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): आम विकास बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, भारत सरकार आम के अनुसन्धान और वैज्ञानिक विधि द्वारा उत्पादन, विपणन एवं निर्यात और मूल्य संवर्धन आदि पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अंतर्गत, भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन करता है, जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, प्राइमरी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण आदि के लिए आम सहित बागवानी फसलों के विकास हेतु एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एवं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु पैकहाउस और इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अन्य प्रमुख कार्यक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश में आम के संवर्धन और विकास में सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास आम से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित संगठन जैसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में व्यावसायिक खेती के लिए विभिन्न किस्में विकसित की हैं। वर्तमान में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आम के लिए 23 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र भी चला रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ, राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी आम के उत्पादन, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और मूल्य संवर्धन से संबंधित अनुसंधान कार्यों में लगे हुए हैं।

(घ): सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर बाईस (22) अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय करती है। आम की फसल इन बाईस (22) अधिसूचित फसलों में शामिल नहीं है।

हालांकि, किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए, सरकार कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत एक घटक, बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) को कार्यान्वित कर रही है। यह योजना उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए कार्यान्वित है जो शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति की होती हैं और जिन्हें 'मूल्य समर्थन योजना' के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को अधिक आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में मजबूरन बिक्री से बचाना है जब कीमतें आर्थिक स्तर से नीचे गिर जाती हैं। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, इसके कार्यान्वयन के पश्चात यह योजना होने वाले नुकसान का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) वहन करती है।

सरकार ने वर्ष 2024-25 सीज़न से बाज़ार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत भावांतर भुगतान नामक एक नया घटक शुरू किया है, जिसके माध्यम से शीघ्र खराब होने वाली फसलों के उत्पादक किसानों को बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जा सकेगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास विकल्प है कि वे फसल की भौतिक खरीद करें या किसानों को बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर, बाज़ार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य पर आम की खरीद को मंज़ूरी देता है, जब आम का बाज़ार मूल्य, बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य से नीचे गिर जाता है।

अनुलग्नक

भारत में पिछले पांच वर्षों के आम के क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण

	क्षेत्रफल '000 हेक्टेयर में					
फसल का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (दूसरा अग्रिम अनुमान)**
आम	22.94	23.17	23.50	23.46	23.96	23.93

	उत्पादन '000 एमटी में					
फसल का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (दूसरा अग्रिम अनुमान)**
आम	203.17	203.86	207.72	208.72	223.98	228.37

****